न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 07/13 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2013/00405

अनवान्

1. श्री गणेश पिता नवला गुर्जर निवासी कुंचोली तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री बाबरू मुतबन्ना जीता गुर्जर निवासी लितरियो का ढाणा तहसील मावली।
1/1 श्रीमती मांगीबाई पत्नी बाबरू गुर्जर निवसी लितरियों का ढाणा तहसील मावली।
1/2 श्री जगदीश पिता बाबरू गुर्जर निवासी लितरियों का ढाणा तहसील मावली।
2. श्री भंवरू पिता गणेश गुर्जर निवासी लितरियों का ढाणा तहसील मावली।
3. श्री उदयराम पिता गणेश गुर्जर निवासी लितरियों का ढाणा तहसील मावली।
4. श्री तुलसीराम पिता गणेश गुर्जर निवासी लितरियों का ढाणा तहसील मावली।
5. श्री हीरालाल पिता गणेश गुर्जर निवासी लितरियों का ढाणा तहसील मावली।
6. श्रीमती मोवनी उर्फ सोवनी पत्नी उदयराम पिता गणेश गुर्जर निवासी किरा का बाडा मजरा थामला तहसील मावली।
7. श्रीमती दोली पत्नी गणेश गुर्जर निवासी लितरियों का ढाणा तहसील मावली।
8. श्री शंकर पिता भग्गु गुर्जर निवासी मोगाणा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
9. देउबाई पिता भग्गु गुर्जर निवासी मोगाणा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
10. श्रीमती काली पिता जगरूप पत्नी गोकल गुर्जर निवासी लितरियों का ढाणा तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री हार्दिक चेचाणी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/1, 1/2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 18.08.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली में प्रार्थी एवं विपक्षीगण की खातेदारी व आधिपत्य की आराजी नम्बर 112, 417, 534, 536, 541, 546, 549, 550, 551, 552, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 564, 567, 1740/110 किता 19 कुल रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा स्थित हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:32 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि आराजी संख्या 534, 536, 541 के साबिक नम्बर क्रमशः 335, 347, 346 थें। आराजी संख्या 534, 536, 541 का सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी के पिता नवला जी ने विपक्षीगण के पूर्वज जीता व जगरूप से दिनांक 10.04.1937 में क्रय की तब से उक्त भूमि पर प्रार्थी के पूर्वज तथा उसके पश्चात् प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा तब से प्रार्थी ही उपयोग उपभोग कर काश्त कर रहा है। बिकाव के इकरार की फोटो प्रति साथ संलग्न है। जिसमें उक्त तीनों आराजी के साबिक नम्बर अर्थात् आराजी संख्या 335, 347 व 346 अंकित है तथा उक्त तीनों आराजी के खेतो के नाम भी अंकित है किन्तु प्रार्थी के पूर्वजो के द्वारा राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण फैसल नहीं करवाया जिससे भूमियां वर्तमान में विपक्षीगण के नाम पर अंकित चली आ रही हैं।

3. यह कि उक्त तीनों नम्बर अर्थात् आराजी संख्या 534 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 536 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 541 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा राजस्व अभिलेख में विपक्षीगण के नाम पर अंकित होने से प्रार्थी ने विपक्षीगण संख्या 1 से 6 के पिता व विपक्षी संख्या 7 के पति से पुनः दिनांक 16.06.1976 में पुनः प्रार्थी के नाम पर पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया गया क्योंकि प्रार्थी ने पूर्व में इकरार पत्र के अनुसार भूमियां अपने नाम पर अंकित करवाने बाबत् कहा तो जगरूप के वारिसान ने इन्कार कर दिया जिससे प्रार्थी ने पुनः रूपये देकर उक्त विक्रय पत्र निष्पादित करवाया। प्रार्थी अनपढ होने से उसने उक्त विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात् नामान्तरकरण फैसल नहीं करवाया क्योंकि उसने सोचा कि विक्रय पत्र निष्पादित करने के बाद स्वतः राजस्व कर्मचारी नामान्तरकरण फैसल कर भूमियां उसके नाम पर कर देगें। इसी कारण से वर्तमान में भूमियां प्रार्थी के नाम पर न होकर विपक्षीगण संख्या 1 से लगायत 7 तक व विपक्षी संख्या 10 के नाम पर चली आ रही हैं। विपक्षी संख्या 8, 9 की माता श्रीमती गटु की मृत्यु हो चुकी है किन्तु राजस्व अभिलेख में उसका नाम अंकित चला आ रहा है जिससे श्रीमती गटु के वारिसान विपक्षी संख्या 8 व 9 को पक्षकार बनाया गया हैं।

4. यह कि विपक्षीगण का वंशवृक्ष का सजरा निम्न प्रकार हैं :–

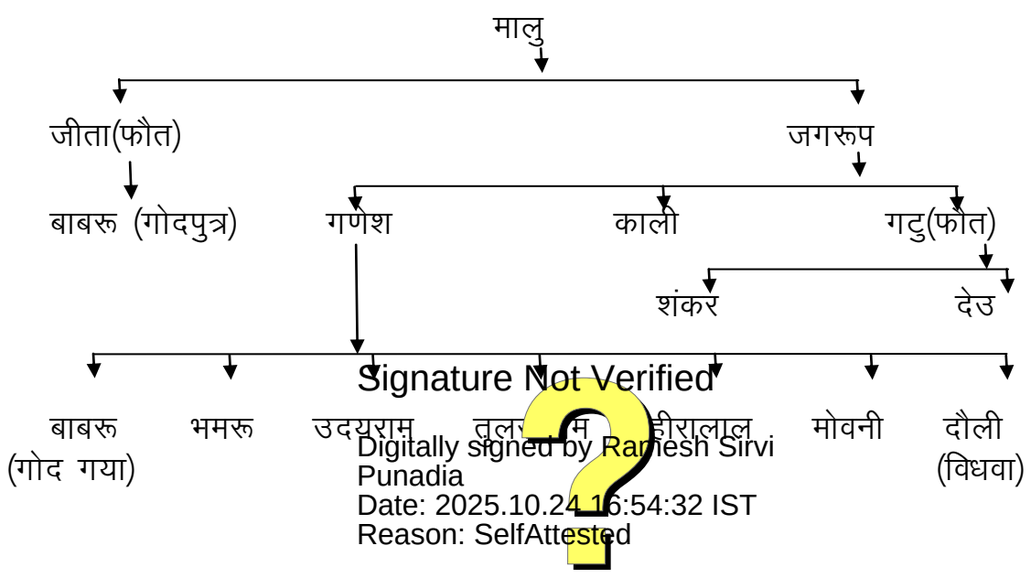

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:32 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि उक्त भूमियां मूल पुरूष वालु जी की थी, वालु जी के दो पुत्र जीता व जगरूप थे। जीता की शादी नहीं होने से उसके कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई जिससे जगरूप के पोत्र प्रतिवादी संख्या 1 बाबरू को गोद रखा। जगरूप के 1 लडका गणेश व दो लडकिया काली व गटु उत्पन्न हुई जिसमें गटु की मृत्यु हो चुकी है। गटु के 1 लडका विपक्षी संख्या 8 शंकर व एक लडकी विपक्षी संख्या 9 उत्पन्न हुये। गणेश के 5 लडके विपक्षी संख्या 1 से लगायत 5 व एक लडकी विपक्षी संख्या 6 उत्पन्न हुई। बाबरू जीता के गोद चला गया जिससे गणेश के 5 वारिस ही शेष हैं। उक्त वर्णित भूमियों पर प्रार्थी का ही वर्ष 1937 से कब्जा चला आ रहा है तथा तब से काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वर्तमान में प्रार्थी ने चालु जमाबन्दी प्राप्त की तब उसे पता चला कि उक्त भूमियां प्रार्थी के नाम पर अंकित नहीं होकर विपक्षीगण के नाम पर ही अंकित चली आ रही है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।
6. यह कि विपक्षीगण के मन में बेईमानी उत्पन्न हो जाने से अब इन भूमियों को प्रार्थी के नाम पर अंकित कराने में टालमटोल कर रहे है तथा अवैध रूप से प्रार्थी से रूपये वसुल करना चाह रहे है। विपक्षी संख्या 1 को इस तथ्य की भलीभांति जानकारी है कि उक्त वर्णित भूमियां उनके पूर्वजों ने विक्रय कर दी तथा प्रार्थी का ही कब्जा है उसके उपरान्त भी उसने प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण भूमियों को स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा थामला के पक्ष में रहन रख दी व नाजायज फायदा प्राप्त कर रहा हैं।
7. यह कि उक्त वर्णित भूमियों को प्रार्थी के पूर्वजों के द्वारा विक्रय ईकरार तथा विक्रय पत्र के आधार पर तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी उक्त भूमियों को अपने नाम पर घोषित करवाने का अधिकारी हैं। जिससे उक्त वाद पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा के बाबत् प्रस्तुत किया जा रहा हैं। उक्त वर्णित भूमियों को प्रार्थी के नाम पर घोषणा फरमायी जाकर राजस्व अभिलेख में स्वतन्त्र अंकन फरमाया जावें। प्रार्थी के हिस्से में आयी भूमियों को विपक्षीगण किसी प्रकार से बाधा हस्तक्षेप कारित नहीं करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति को उक्त भूमियां विक्रय ही करें। इस हेतु उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद फरमाया जावे क्योंकि विपक्षीगण प्रार्थी को धमकीया दे रहे है कि तेरी भूमियों को हम खुर्द बुर्द कर देगें। किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर देगे क्योंकि सम्पूर्ण भूमियां अभी हमारे नाम पर ही अंकित है। प्रार्थी के पूर्वज व प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के पूर्वजों के द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किया गया जिससे उक्त दिनांक से उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा है जिससे प्रार्थी का उक्त प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं।
8. यह कि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं फरमायी जाने की स्थिति में विपक्षीगण उक्त भूमि को विक्रय/रहन कर/खुर्द बुर्द कर देगे जिससे प्रार्थी के द्वारा वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढेगी जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति नकदी में संभव नहीं है। इसके विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमायी जाने की स्थिति में विपक्षीगण को कोई सारवान क्षति कारित नहीं होगी। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमायी जावे कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों को किसी प्रकार से रहन, विक्रय अथवा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा हस्तक्षेप कारित नहीं करे, न ही किसी अन्य से करावे।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 2 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके है। विपक्षी संख्या 1/1 व 1/2 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली के आराजी नम्बर 534, 536, 541 हमारे पूर्वजो ने न ही कभी बेची है न ही उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा है बल्कि उक्त आराजीयात पर हम विपक्षीगण का हिस्से अनुसार कब्जा होकर हमारे पूर्वजों के समय से निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है उक्त कृषि भूमि पर विपक्षीगण काबिज होकर मौसम वार काश्त करते चले आ रहे है व उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है न ही वर्तमान में कब्जा है जबकि उक्त भूमि पर वर्तमान में हम विपक्षीगण का कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। हम विपक्षीगण के पूर्वजों ने कभी भी उक्त भूमि को प्रार्थी या उनके वारिसों को कभी भी विक्रय नहीं की है बल्कि उक्त भूमि विपक्षीगण के कब्जे, उपभोग में होकर निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग कर रहे है व राजस्व रेकार्ड में भी हम विपक्षीगण के नाम से दर्ज हैं। विपक्षीगण ने कभी भी किसी भी प्रकार से कोई धमकी नहीं दी है, प्रार्थी ताकत के बल पर विपक्षीगण की उक्त आराजी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र का मूल्यांकन कम अंकित किया गया है, न ही प्रार्थना पत्र उपर्युक्त कोर्ट फीस पर पेश हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1/1 व 1/2 का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावें।

10. **विपक्षी संख्या 1/1 व 1/2 द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र** पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली के आराजी नम्बर 534, 536, 541 स्थित है जिस पर विपक्षी संख्या 1/1, 1/2 व अन्य विपक्षीगण का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है व राजस्व रेका[illegible]बन्दी में भी विपक्षी संख्या 1/1 व 1/2 के पिता के नाम से दर्ज है उक्त भूमि पर [illegible]धिकारी की हैसियत से काबिज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:32 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर निर्बाध रूप से हमारा कब्जा चला आ रहा है जिससे हमारे पिता बाबरू के नाम हिस्से अनुसार दर्ज भूमि को हमारे खातेदारी अधिकार से दर्ज कराने के अधिकारी है जिसके लिए काउन्टर क्लेम पेश हैं। उक्त आराजीयात में प्रार्थी हम विपक्षीगण के हिस्से अनुसार कब्जे व उपभोग में दखलन्दाजी कर रहा है व हम विपक्षीगण को कब्जे से बेदखल करने की निरन्तर धमकीयां दे रहा हैं। विपक्षीगण के पक्ष में प्रार्थी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थी एवं उसके परिवारजन उक्त आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न ही हमें बेदखल करें, न ही उक्त कार्य स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। सुविधा संतुलन और अतुलनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। विपक्षी संख्या 1/1 व 1/2 के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण विपक्षीगण को सम्मन प्राप्त होने की तारीख से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1/1 व 1/2 का काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व विपक्षी संख्या 1/1 व 1/2 के पक्ष में एवं प्रार्थी के विरूद्व हिस्से अनुसार काबिज भूमि पर प्रार्थी किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें।

11. **विपक्षी संख्या 2 से 5, 9 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया** कि उक्त आराजी संख्या 534, 536, 541 हमारे पूर्वजो ने न ही कभी बेची है व न ही उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा है बल्कि उक्त आराजीयात पर विपक्षीगण का कब्जा हमारे पूर्वजों के समय से निरन्तर चला आ रहा है व उक्त कृषि भूमि पर विपक्षीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है व विपक्षीगण राजस्व रेकार्ड के खातेदार टिनेन्ट हैं। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है न ही वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा है जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा चला आ रहा है तो विपक्षीगण ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। विपक्षीगण के पूर्वजों ने कभी भी उक्त भूमि को प्रार्थी को विक्रय नहीं की है बल्कि विपक्षीगण के कब्जे उपभोग व खातेदारी की है जिससे विपक्षीगण को बैंक के रहन रखने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षीगण ने कभी भी किसी प्रकार की धमकीयां नहीं दी है बल्कि प्रार्थी खुद विपक्षीगण की आराजी में हस्तक्षेप कारित कर रहा हैं। प्रार्थी का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है, न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं।

12. **काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि** विपक्षी संख्या 2 से 5, 9 की उक्त आराजी संख्या 534, 536, 541 राजस्व ग्राम कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली में स्थित है जिस पर विपक्षीगण का कब्जा अपने पूर्वजो के समय से निरन्तर चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि पर विपक्षीगण अपने पूर्वजो के समय से उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी विपक्षीगण के कब्जे उपभोग में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:32 IST
Reason: SelfAttested

दखलन्दाजी कर रहा है व विपक्षीगण को कब्जे से हटाने की धमकीया दे रहा है। विपक्षीगण के पक्ष में व प्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमावे कि प्रार्थी विपक्षीगण की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। हमें बेदखल नहीं करे, ना स्वयं करे, ना ही अपने परिवारजन नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत करावें। विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र कारण प्रार्थी द्वारा भेजे गये विपक्षीगण को सम्मन प्राप्त होने की तारीख से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर विपक्षीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावें।

13. **अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1/1 व 1/2 के काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 5, 9 के काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया** कि आराजी नम्बर 534, 535, 536 राजस्व ग्राम कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली में स्थित होना स्वीकार हैं। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है क्योंकि उक्त आराजीयात का सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पिता नवलाजी ने प्रतिवादीगण के पूर्वज जीता व जगरूप जी से दिनांक 10.04.1937 में क्रय कर ली थी। चूंकि उक्त आराजीयात में नामान्तरण नहीं होने से उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर ही चली आ रही थी तत्पश्चात् वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 के पति से पुनः दिनांक 16.06.1976 को वादी के नाम पर पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया तभी से उक्त आराजीयात पर कब्जा वर्ष 1937 से मुझ वादी के पिताजी का एवं उनके मृत्यु उपरान्त मुझ वादी का आज दिनांक तक निरन्तर चला आ रहा हैं। प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग मेरे पिताजी के जीवनकाल से मै वादी करता आ रहा हूं। वादी ने प्रतिवादीगण को कभी कोई धमकी नहीं दी क्योंकि उक्त आराजीयात पर कब्जा मुझ वादी का है एवं उसका उपयोग उपभोग में वादी अपने पूर्वजो के समय से करता आ रहा हूं। प्रतिवादीगण मुझ वादी के विरूद्व कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि उक्त आराजीयात मुझ वादी एवं मेरे पिताजी ने पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी हुई है। जब प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात पर कभी कोई कब्जा ही नहीं रहा है तो उनको बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। प्रतिवादीगण को मुझ वादी के विरूद्व कभी कोई काउन्टर क्लेम कारण उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है एवं प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजो ने उक्त आराजीयात मुझ वादी व मेरे पूर्वजों को पंजीकृत विक्रय विलेख से विक्रय कर रखी थी। अन्त में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:32 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया कि विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

14. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/1 व 1/2 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1/1, 1/2, 8, 9 के पूर्वज एवं विपक्षी संख्या 2 से 7, 10 के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी उक्त भूमि के वर्तमान में रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षीगण के मौरूस जीता व जगरूप के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी जिसे प्रार्थी के पिता नवला जी ने दिनांक 10.04.1937 को क्रय की गई तथा पुनः प्रार्थी द्वारा जगरूप के वारिस व विपक्षी संख्या 1/1, 1/2 व 2 से 7 के मौरूस से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1976 को क्रय करना बताया परन्तु उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1/1, 1/2, 8, 9 के पूर्वज एवं विपक्षी संख्या 2 से 7, 10 के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज चली आ रही हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षीगण के मौरूस जीता व जगरूप के नाम दर्ज होना जाहिर होता है जीता व जगरूप के फौत होने से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1/1, 1/2, 8, 9 के मौरूस व विपक्षी संख्या 2 से 7, 10 के नाम विरासत से दर्ज हुई हैं। प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा चाही हैं। प्रार्थी सद्भावी क्रेता की श्रेणी में आता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1/1, 1/2, 8, 9 के पूर्वज एवं विपक्षी संख्या 2 से 7, 10 के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:32 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा चाही गई हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण अपने नाम दर्ज भूमि को खुर्द बुर्द, विक्रय, रहन, बैह बक्षीस कर देते है तो इससे प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1/1, 1/2, 8, 9 के पूर्वज एवं विपक्षी संख्या 2 से 7, 10 के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा चाही गई हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

16. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी व प्रार्थी के मौरूस द्वारा क्रय की गई है इसलिए विपक्षीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। विपक्षी संख्या 1/1 व 1/2 का कथन है कि प्रार्थी, विपक्षीगण के हक हिस्से में दखलन्दाजी करते है विपक्षीगण के मौरूस द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के मौरूस के पक्ष में किसी प्रकार का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया गया है इसलिए जरिये काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 के खाता संख्या 183 पर दर्ज आराजी नम्बर 534, 536, 541 साबिक आराजी नम्बर 335, 347, 346 किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1/1, 1/2, 8, 9 के पूर्वज एवं विपक्षी संख्या 2 से 7, 10 के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त पूर्व में विपक्षीगण के मौरूस जीता व जगरूप के नाम दर्ज होना जाहिर होता है जीता व जगरूप के फौत होने से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1/1, 1/2, 8, 9 के मौरूस व विपक्षी संख्या 2 से 7, 10 के नाम विरासत से दर्ज हुई है। [illegible] विपक्षीगण के मौरूस जीता व जगरूप द्वारा प्रार्थी के पिता नवला के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 10.04.1937 व विपक्षी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:32 IST
Reason: SelfAttested

से 6 के पिता व विपक्षी संख्या 7 के पति से पुनः प्रार्थी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1976 के आधार पर घोषणा चाही हैं। उक्त विक्रय पत्रों का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से वादग्रस्त भूमि विपक्षी तथा विपक्षीगण के मौरूस के नाम चली आ रही हैं। प्रार्थी व इनके मौरूस द्वारा वादग्रस्त भूमि को पूर्णप्रतिफल अदा कर क्रय करना जाहिर होता हैं।

प्रकरण में मूल बिन्दू प्रार्थी व प्रार्थी के मौरूस नवला द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय करने के आधार पर घोषणा सम्बन्धी हैं। यदि क्रय किये जाने का तथ्य साबित होता है तो प्रार्थी विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी है इसलिए यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थी को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा परन्तु क्रय करने के तथ्य को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1/1, 1/2, 8, 9 के पूर्वज एवं विपक्षी संख्या 2 से 7, 10 के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज हैं एवं विपक्षीगण के मौरूस द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के मौरूस नवला के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने से यदि विपक्षीगण पुनः वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य को हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रकरण में दोहरी स्थिति उत्पन्न होगी। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य एवं विपक्षी संख्या 1/1, 1/2, 2 से 5, 9 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 1/1, 1/2, 2 से 5, 9 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौजा कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068—71 के खाता संख्या 163 पर दर्ज आराजी नम्बर 536, 541 साबिक आराजी नम्बर 335,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:32 IST
Reason: SelfAttested

347, 346 किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। शेष खाता बदस्तूर रहें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:32 IST
Reason: SelfAttested